



प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में निर्माण कार्य एवं उससे संबंधित मदों हेतु रू० 100.00 करोड़ की धनराशि की मांग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-12097/यूपीडा/1098/2020 दिनांक 06.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य' मद में बजट प्राविधानित अवशेष धनराशि रू. 450.00 करोड़ में से रू० 100.00 करोड़ (रू० सौ करोड़ मात्र) निर्गत कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) नोडल एजेन्सी यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
- (2) यूपीडा द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मदवार व्यय का विवरण भी पृथक से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।
- (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शा० संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दि० 11.04.2020 एवं 18.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-738/ दस-2020 दिनांक 22.10.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-39/2020/2138(1)/77-3-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य, वरिष्ठ व कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।